वन प्रबंधन समिति द्वारा 07 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र (एम.पी.सी.ए.) में पाये जाने वाले कच्चे औषधियों का संग्रहण कार्य संक्षेपिका

परियोजना प्रस्तावना -

संयुक्त वन प्रबंधन समिति (JFMC) के माध्यम से यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत (वर्ष 2009 से 2015 तक की अवधि में) बनाये गये औषधीय पादप संरक्षित क्षेत्र में (RET) औषधीय प्रजातियों तथा अत्याधिक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मांग वाली औषधीय प्रजातियों का सतत् विनाश विहीन संग्रहण कराया जाना है । इस हेतु एम.पी.सी.ए. क्षेत्र के वन प्रबंधन समितियां, जिनमें वहां के पारंपरिक वैद्य, कृषक सम्मिलित हो, आस-पास क्षेत्रों के 03 वन प्रबंधन समितियों का क्लस्टर बनाकर कच्चे वनौषधी उत्पादों का भंडारण, वनमंडलों में स्थित गोडाउन में कराया जाना है । एम.पी.सी.ए. की सूची निम्नानुसार है :-

क.	वनमंडल का नाम	MPCA का नाम	JFMC समिति का नाम
1	2	3	4
01.	धमतरी	जबर्रा	जबर्रा
			मुनईकेरा
			खरसा
02.	बस्तर	माचकोट	तिरिया
			तोलावाड़ा
			पुलचा
03.	सूरजपुर	घाटेपण्डारी	घाटेपण्डारी
			नवाधक्की
			देवरी
04.	मरवाही	केंवची	केंवची
			आमाडोब
			पटपरी
05.	कोण्डागांव	भतवा	भतवा
			बागबेड़ा
			नेवरा
06.	खैरागढ़	बांधाटोला	बांधाटोला
			कुकरीटोला
			बांसभिर्रा
07.	जशपुर	पटिया	बादुपारा
			बोरोकोना
			पटिया

क्रमशः ... 2

योजना में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण कार्य उपरोक्तानुसार वनमंडल अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि को निम्नलिखित घटकों में खर्च किया जावेगा -

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>घटक का नाम</th><th>ईकाई</th><th>केन्द्र शासन द्वारा पोषित वित्तीय सहायता 100% तीन वर्षों हेतु राशि (लाख में)</th><th>संग्रहण कार्य हेतु भुगतान बाबत् राशि (50ः केन्द्र शासन पोषित 50ः राज्य शासन पोषित) तीन वर्षों हेतु राशि (लाख में)</th><th colspan="3">राज्य शासन से पोषित वित्तीय सहायता 210 लाख का 03 वर्षों का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td>01.</td><td>स्टोरेज गोडाउन हेतु @15 लाख (तीनों वन प्रबंधन समिति हेतु)</td><td>कुल एम.पी.सी.ए. 7x15 लाख</td><td>105.00</td><td rowspan="4">कुल एम.पी.सी.ए. 7x60 लाख
कुल राशि 420 लाख जिसमें 210 लाख केन्द्र पोषित वित्तीय सहायता से 210 लाख राज्य शासन पोषित वित्तीय सहायता से होगी</td><td>प्रथम वर्ष</td><td>द्वितीय वर्ष</td><td>तृतीय वर्ष</td></tr>
<tr><td>02.</td><td>ड्राईंग शेड हेतु @ 15 लाख (तीनों वन प्रबंधन समिति हेतु)</td><td>कुल एम.पी.सी.ए. 7 x15 लाख</td><td>105.00</td><td>10 लाख</td><td>10 लाख</td><td>10 लाख</td></tr>
<tr><td>03.</td><td>आवश्यक उपकरण मूल्य संवर्धन हेतु आवश्यक उपकरण</td><td>कुल एम.पी.सी.ए. 7 x 11.79 लाख (L.S.)</td><td>82.50</td><td colspan="3" rowspan="2">30 लाख x 7 एम.पी.सी.ए. कुल राशि रू. 210 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">योग</td><td>292.50</td></tr>
<tr><td></td><td>विपणन प्रबंधन का कार्य (02 नग रिटेल आउटलेट इत्यादि) (बिलासपुर एवं दुर्ग में मुख्यालय स्तर से)</td><td>02 नग</td><td>22.50</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">कुल परियोजना राशि का योग</td><td>315.00</td><td>420.00</td><td colspan="3">735.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">प्रथम वर्ष हेतु प्राप्त राशि (-)</td><td>126.00</td><td>70.00 राज्य शासन द्वारा सहायता</td><td colspan="3">196.00 लाख</td></tr>
</table>

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किया जाना प्रस्तावित है -

1. समितियों द्वारा औषधीय RET प्रजातियों तथा अत्यधिक मांग वाली औषधीय प्रजातियों (जैसे - अर्जुन, भेलवा, बैचांदी, बायबिडंग, मूंगा पत्ती, सतावर, ब्राम्ही, अश्वगंधा, कालमेघ, हर्रा, आवंला, मालकांगनी इत्यादि) का सतत् विनाश विहीन संग्रहण ।
2. समितियों द्वारा संग्रहित प्रजातियों का सुखाना एवं उसका उपलब्ध उपर्युक्त भवन में समुचित भण्डारण करना ।
3. औषधीय प्रजातियों के कच्चे माल का प्रारंभिक जैविक प्रमाणीकरण JFM समिति से कराना ।
4. कच्चे उत्पाद को सुखा कर प्रसंस्करण का कार्य करवाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
5. आवश्यकतानुसार नये भण्डारण केन्द्र की स्थापना तथा समीपस्थ प्रसंस्करण केन्द्र से सम्बद्ध करके अथवा नये प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करके हर्बल उत्पाद तैयार करना ।
6. प्रसंस्करण पश्चात् उत्पादों का छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसायटी से प्रमाणीकरण कराना तथा शासन के अन्य विभागों (जैसे - खाद्य एवं औषधि विभाग/आयुष विभाग आदि) से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त करना ।

संग्रहण किए जाने के संबंध में संग्रहणकर्ताओं के द्वारा भरे जाने वाला पत्र प्रारूप

जैविक प्रमाणीकरण जानकारी प्रपत्र

1. संग्राहक का नाम/समिति का नाम -

.....

.....

2. संग्रहण किये जाने वाले प्रजाति का विवरण -

.....

.....

3.

समिति का नाम	पता	कुल संग्रहण क्षेत्र	अक्षांश एवं देशांतर	संग्राहक की संख्या	जंगल से संग्रहण हेतु अनुमति	मात्रा

4. औषधीय पौधों के संग्रहण हेतु वन विभाग से अनुमति ।

.....

.....

5. बाजार में विक्रय से पूर्व औषधीय पौधों के साफ-सफाई प्राथमिक ग्रेडिंग ।

.....

.....

6. संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल ।

.....

.....

7. संग्राहक की संख्या ।

.....

.....

8. जंगल से संग्रहण किये जाने वाले प्रजातियों की सूची ।

.....

.....

9. परंपरागत रूप से फसल लेने के पारंपरिक ज्ञान का वितरण ।

.....

.....

10. भूमि सुधार हेतु परंपरागत ज्ञान का विवरण ।

.....

.....

11. बीज उपचार हेतु परंपरागत ज्ञान का विवरण ।

.....

.....

12. भण्डार हेतु परंपरागत ज्ञान का विवरण ।

.....

.....

13. औषधीय पौधों के संग्रहण पश्चात् प्रजातियों के पुनरूत्पादन हेतु परंपरागत ज्ञान का विवरण ।

.....

.....

विनाश विहीन संग्रहण पद्धति का जानकारी पत्रक

01.	वनमंडल का नाम - ....
02.	परिक्षेत्र का नाम - ....
03.	एम.पी.सी.ए. का नाम एवं जी.पी.एस. लोकशन - ....
04.	एम.पी.सी.ए. के आस-पास के गॉवों के नाम - ....
05.	संग्राहक का नाम/वन प्रबंधन समिति का नाम व सदस्यों के नाम एवं पता - ....
06.	संग्रहण किये जाने वाले प्रजाति का विवरण - ....

क्र.	प्रजाति का नाम	संग्रहण भाग	संग्रहण काल	संग्रहण पद्धति के परंपरागत ज्ञान का विवरण	संग्रहण विधि

07.	औषधीय पौधों के संग्रहण उपरांत ग्रामीण/समिति के आय का प्रतिशत - ....

08.	औषधीय पौधों के संग्रहण में महिलाओं की भूमिका - ....
09.	औषधीय पौधों के संग्रहण पश्चात् पुनरूत्पादन हेतु प्रयास का विवरण - ....
10.	परंपरागत वैद्य का विवरण - ....

वैद्य का नाम	विशेषज्ञता	अन्य रोगों का विवरण	उपयोग किये जाने वाले पौधे का नाम व विवरण

11.	परंपरागत ज्ञान के संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों द्वारा प्रयास का विवरण - ....
12.	औषधीय पौधों के संग्रहण व उनके सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयं बनाये गये प्रोटोकॉल - ....
13.	औषधीय पौधों के संरक्षण एवं उसके सुरक्षा तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु स्थानीय समुदाय/जे.एफ.एम.सी./वैद्य द्वारा किये गये प्रयास - ....
14.	संरक्षित क्षेत्र में विशेष औषधीय प्रजाति जो आस्था, धर्म, संस्कृति व रीतिरिवाज से जुड़ी हो का विवरण - ....
15.	औषधीय पौधों के संग्रहण विधि :-

16.	1. जड़ के संग्रहण की पारंपरिक विधि - ....
17.	2. पत्ती संग्रहण का पारंपरिक विधि - ....
18.	3. फल/फूल संग्रहण की पारंपरिक विधि - ....
19.	4. कंद संग्रहण की पारंपरिक विधि - ....
20.	5. छाल संग्रहण की पारंपरिक विधि - ....

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए प्रपत्र

क.	संग्रहण स्थल का नाम एंव पता (राज्य, वृत्त, वनमंडल, परिक्षेत्र एंव बीट)	संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल (हें.)	अक्षांश एंव देशांतर	कच्चे औषधीय पौधे उत्पाद संग्रहणकर्ताओ की संख्या	कच्चे औषधीय पौधे उत्पाद संग्रहणकर्ताओ के नाम	संग्रहण किये जाने वाले कच्चे औषधीय पौधे उत्पादो के नाम	संग्रहण किये जाने वाले कच्चे औषधीय पौधे उत्पादो की मात्रा (मे.ट.)	बदले, जोडे अथवा वापस लिए गए कच्चे औषधीय पौधे उत्पाद
01.	संग्रहण स्थल - (औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र) ग्राम - संयुक्त वन प्रबंधन समिति - कक्ष क्र. - वनपरिसर - उपवनपरिक्षेत्र - वनपरिक्षेत्र - वनमंडल - वनवृत्त - राज्य - **छत्तीसगढ़** देश – **भारत** **उपलब्ध कराये जाने हेतु दस्तावेज** - 01. संग्रहण क्षेत्र का मानचित्र 02. सहमति पत्र की प्रतिलिपी (MoU) अथवा वन विभाग द्वारा जारी कच्चे औषधीय पौधे उत्पादो का परिवहन अनुज्ञापत्र 03. वन पारिस्थितिकी तंत्र/संसाधनो के सतत् उपयोग को स्थापित करने हेतु प्रमाण अथवा जैव सांस्कृतिक सामुदायिक निर्देश (BCCP) 04. कच्चे औषधीय पौधे उत्पाद संग्रहणकर्ताओ के नाम सहित सूची 05. संग्रहण प्रक्रिया का लिखित दस्तावेज 06. जैविक पद्वति योजना							

वन अनुज्ञा प्रपत्र

वन अनुज्ञा पत्र क्र. ..... दिनांक -

यह अनुमति दी जाती है कि,..... पता.....

..... एवं निर्माण शाला का पता - गुड़िया

एम.पी.सी.ए. वन क्षेत्र से संग्रहित औषधीय पौधो के कच्चे उत्पादो को खरीद कर ले जा सकते हैं जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है :

संग्रहित औषधीय पौधो के कच्चे उत्पादो की वन अनुज्ञा दिनांक ..... से दिनांक ..... तक

कुल औषधीय पौधा संग्रहण क्षेत्र (हे.): .....

राज्य : छत्तीसगढ़ वन वृत्त : वनमंडल : वनपरिक्षेत्र : उप वनपरिक्षेत्र :

वन परिसर : दक्षिण गुड़िया कक्ष क्र. - आर.एफ. 1793

क्र.	औषधीय पौधो के स्थानिय नाम	औषधीय पौधो के वैज्ञानिक नाम	संग्रहण का माह/काल	संग्रहण किये जाने वाले कच्चे औषधीय पौधे उत्पादो की अनुमानित मात्रा (मे.ट.)	संग्रहित कच्चे औषधीय पौधे उत्पादो की मात्रा (मे.ट.)
01.					
02.					
03.					
04.					
05.					
06.					
07.					
08.					
09.					
10.					

- औषधीय पौधा संग्रहण क्षेत्र का अक्षांश: .....
- औषधीय पौधा संग्रहण क्षेत्र का देशांतर: .....
- यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन औषधीय पौधो अनुमति गई है वह RET औषधीय पौधो की प्रजातियां नहीं हैं ।
- यह प्रमाणित किया जाता है उन क्षेत्रों में वन कीटनाशक एंव जडी-बूटीयों का उपयोग नहीं किया हैं ।

संग्रहण क्षेत्र का मानचित्र

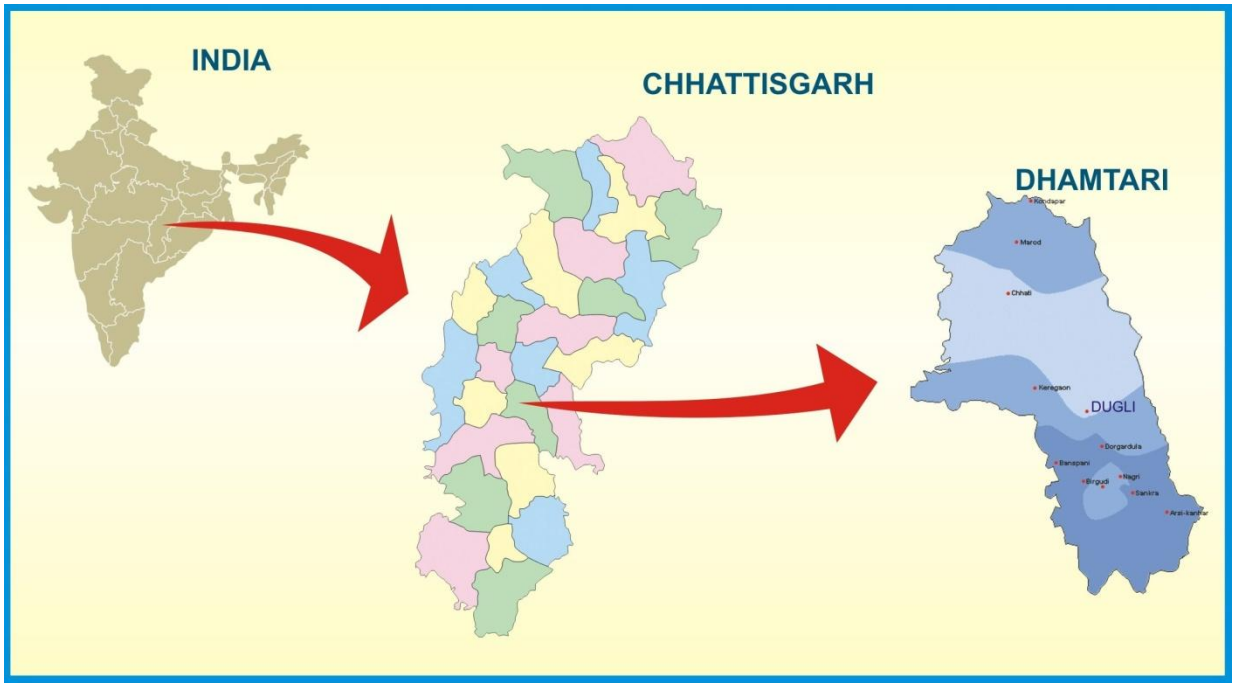

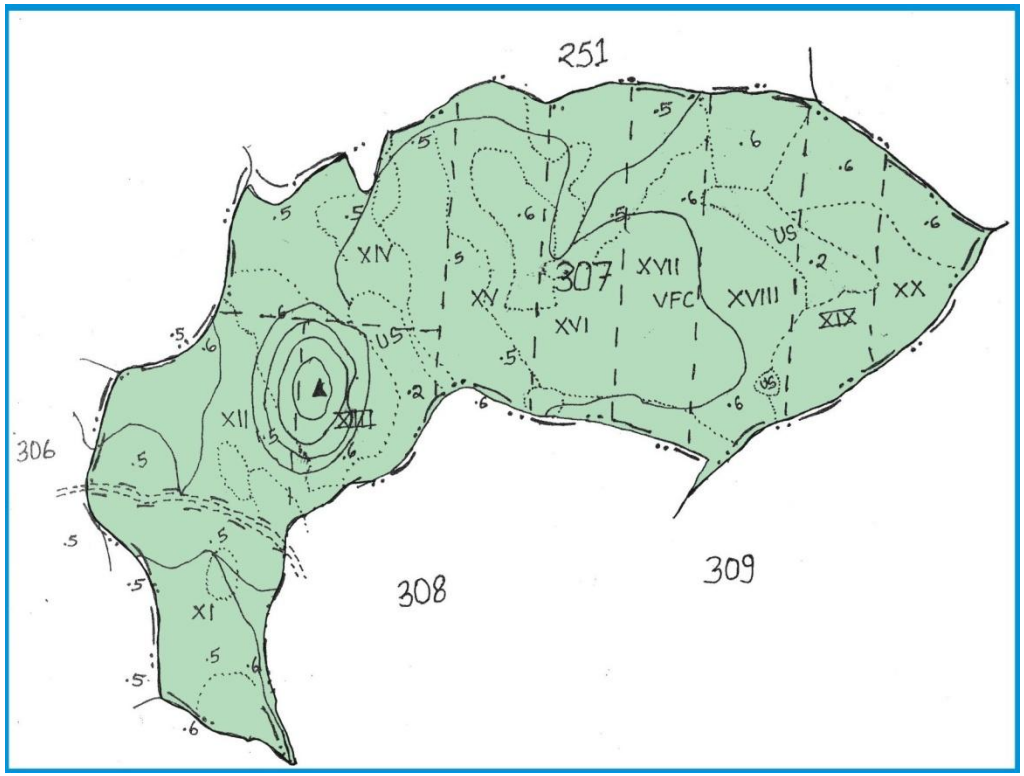

संग्रहण प्रक्रिया का लिखित दस्तावेज

फल संग्रहण

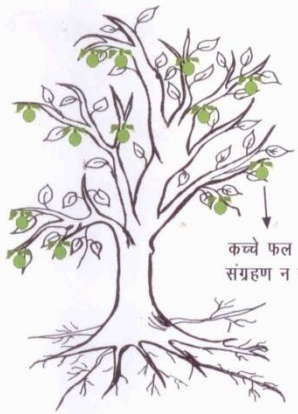

✔ क्या करें

- फलों का संग्रहण फल के पकने के बाद ही करें।
- 10 प्रतिशत फलों को छोड़कर शेष फलों का संग्रहण करें।

✗ क्या न करें

- कच्चे हरे फलों का संग्रहण न करें।
- वृक्ष को पूरी तरह से फलरहित न करें।

छाल संग्रहण

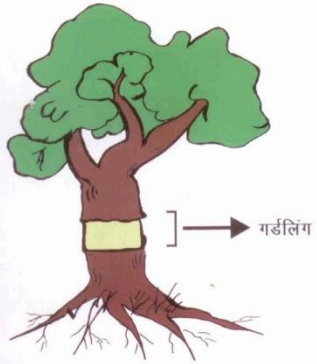

✔ क्या करें

- छाल का संग्रहण मुख्य शाखा को छोड़कर करें।
- छाल का संग्रहण तेज धार औजार से 15 से.मी. लम्बाई व 12 से.मी. चौड़ाई चीरा लगाकर करें।
- छाल का संग्रहण रोटेशन पद्धति से करें।

✗ क्या न करें

- मुख्य शाखा से संग्रहण न करें।
- संग्रहण गर्डलिंग करके न करें।
- 10 वर्ष की कम आयु वाले वृक्ष से संग्रहण न करें।

पत्ती संग्रहण

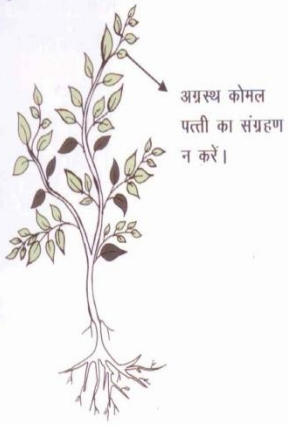

✔ क्या करें

- फूल आने के पश्चात् पुराने परिपक्व पत्तियों का संग्रहण करें।
- 10 प्रतिशत पत्तियों को छोड़ शेष का संग्रहण करें।

✗ क्या न करें

- नई कोमल पत्तियों का संग्रहण न करें।
- सभी पत्तियों का संग्रहण न करें।

जड़ संग्रहण

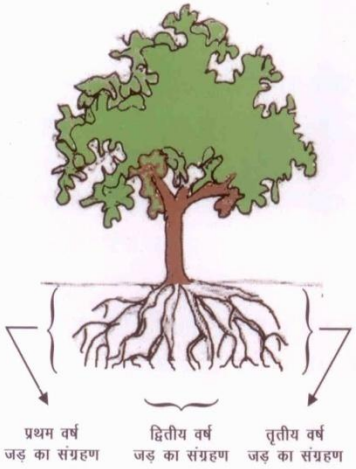

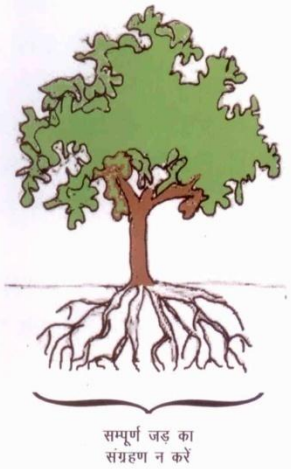

✔ क्या करें

- जड़ का संग्रहण रोटेशन पद्धति से करें।

✗ क्या न करें

- सम्पूर्ण जड़ का संग्रहण न करें।